प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे ,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 20 मार्च, 2018

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) गोरखपुर में स्वतंत्र फीडर की स्थापना हेतु 20 एम0वी0ए0 विद्युत भार की व्यवस्था किये जाने के संबंध में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल विद्युत निगम लि0, वाराणसी के पत्रांक-915/प्र0नि0पू0वि0नि0लि0,(वा0)/ लेखा, दिनांक 17-3-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) गोरखपुर में स्वतंत्र फीडर की स्थापना हेतु 20 एम0वी0ए0 विद्युत भार की व्यवस्था किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-19/2018/6145/71-2-17-116/2015, दिनांक 06-2-2018 द्वारा प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग की अध्यक्षता में गठित अप्रेजल एवं मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 21,71,83,000/- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में लागत का 40 प्रतिशत रू0 868.73 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) गोरखपुर में स्वतंत्र फीडर की स्थापना हेतु 20 एम0वी0ए0 विद्युत भार की व्यवस्था किये जाने हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू0 8,68,73,000/- (रूपया आठ करोड अडसठ लाख तिहत्तर हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

1) स्वीकृत धनराशि को बैक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।
2) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी सक्षम अधिकारी (अधिशासी अभियन्ता) की होगी।
3) स्वीकृत की जा रही वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसकी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
4) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/निदेशक (तकनीकी) पूर्वान्चल विद्युत निगम लि0/कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेगें कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृति नही हो रही है।
5) कार्य की द्विरावृति को रोकने के दृष्टि से प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/निदेशक (तकनीकी) पूर्वान्चल विद्युत निगम लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित है।
6) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था एवं सक्षम अधिकारी का होगा। प्रायोजना हेतु वर्ष निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7) कार्यो की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का अनुश्रवण सुनिश्चित करने हेतु संबंधित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता मासिक समीक्षा बैठक करेगें एवं निदेशक (तकनीकी) को आख्या प्रस्तुत करेंगे।
8) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय। वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03 अगस्त, 2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
9) जी0एस0टी0 मद में देय धनराशि वास्तविकता के आधार पर अनुमन्य की जायेगी।
10) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- धनराशि को कोषागार से महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा आहरित कर, कार्यदायी संस्था प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक अनुमान अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूंजी लेखा लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-71-भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान(एम्स), गोरखपुर को स्वतंत्र फीडर से विद्युत आपूर्ति-24-वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या-54/2018/1087(1)/71-2-18-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4) प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग/लोक निर्माण विभाग/आवास विभाग/ऊर्जा अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
5) जिलाधिकारी, गोरखपुर।
6) कोषाधिकारी, लखनऊ ।
7) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/निदेशक (तकनीकी), पूर्वान्चल वि0वि0नि0लि0, वाराणसी।
8) अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत कार्य मण्डल, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, गोरखपुर।
9) अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पारेषण मण्डल, गोरखपुर।
10) वित्त अधिकारी, महानिदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
11) वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
12) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।